रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20—जून 26, 2015 (ज्येष्ठ 30, 1937)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20—JUNE 26, 2015 (JYAISTHA 30, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400001, दिनांक 27 अप्रैल 2015

डीबीआर.पीएसबीडी 16270/16.01.136/2014-15–"भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से 1 अप्रैल 2015 से निम्नलिखित बैंक को निकालने का निर्देश जारी करता है,

"आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड"

एन एस विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

जयपुर–302001, दिनांक 13 मई 2015

सं. 15/यू/11/पीटीएमआर/एसएमसी/2014—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक: 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में

पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में मुख्यालय के पत्र संख्या Pt. File No. U-13/12/13/2005-med.1/PTMR dated 09-09-08 द्वारा ये शक्तियां राज्य चिकित्सा आयुक्त को सौंपी जाने पर द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक (एक वर्ष के लिए) यां पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर (राजस्थान) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डॉक्टर का नाम व पता	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ0 शिव कुमार गुप्ता चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाडी (अलवर)	23.02.2015 से 22.02.2016 तक	भिवाडी, अलवर, बहरोड, नीमराना व सम्बद्ध क्षेत्र

ह./—अपठनीय
राज्य चिकित्सा आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

चण्डीगढ़, दिनांक 10 जून 2015

सं. 176/पीडी-774/एपीडी-41—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) (यहां इसके पश्चात कथित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 79 की उप-धारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के नियमित कर्मचारियों (बोर्ड स्तर के नीचे) की श्रेणी I एवं II की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक, प्रारम्भ और विनियोग –

(i) ये विनियम भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी I एवं श्रेणी II अधिकारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(ii) ये इनके सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(iii) यह निम्नलिखित कर्मचारियों पर लागू होंगे:-

(क) इन विनियमों के लागू होने से पहले बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए सभी वर्तमान नियमित कर्मचारी।

(ख) इसके पश्चात इन विनियमों के अधीन अनूसूची–'क' में दिए अनुसार बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी।

2. परिभाषाएं (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची 'क' में वर्णित पदों के समूह में किसी भी पद पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त प्राधिकारी से है।

(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य कथित अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 79 के अंतर्गत गठित भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड से है।

(ग) 'संवर्ग' से तात्पर्य किसी सेवा अथवा किसी विशेष समूह अथवा तत्संबंधी हिस्से में स्थायी और अस्थायी पदों की श्रेणीवार संख्या से है।

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य कथित अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा 2 के खंड 'क' के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष से है।

(ङ) "कर्मचारी" से तात्पर्य बोर्ड के किसी कर्मचारी से है जिस पर ये विनियम लागू हैं।

(च) "विभागाध्यक्ष" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट मुख्य अभियन्ता अथवा प्रमुख अभियन्ता (ईआईसी), बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा अध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित किसी अन्य अधिकारी से है, जैसा भी मामला हो।

(छ) "प्रधान कार्यालय" से तात्पर्य भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के, बोर्ड के सचिवालय कार्यालय से है।

(ज) "कार्यालय का प्रधान" से तात्पर्य अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा अनुसार बोर्ड के संबंधित कार्यालय का प्रधान।

(झ) "परिवीक्षा" से तात्पर्य नियमित रिक्त पद पर विशिष्ट अवधि के लिए उस पद पर कर्मचारी के औचित्य के परीक्षण के लिए कर्मचारी की नियुक्ति करना है।

(ट) "पदोन्नति" से तात्पर्य है बोर्ड के कर्मचारी की एक पद से दूसरे पद पर पूर्व कैडर के अलावा उन्नति करना जिसमें उच्चतम कर्तव्य और जिम्मेवारियां शामिल है।

(ठ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था" से तात्पर्य है:-

(i) भारत के किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में कानून द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या संस्था, या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जिसे सरकार द्वारा इन विनियमों के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या संस्था बमने के लिए घोषित किया गया है।

(ड) "नियम" से तात्पर्य भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 से है ।

(ढ) "सचिव" से तात्पर्य बोर्ड का सचिव या विशेष सचिव से है।

(न) 'चयन प्राधिकारी' से तात्पर्य संबंधित भागीदार राज्यों के लोक सेवा आयोगों, संबंधित राज्यों के हिस्से के कोटे के अनुसार भर्ती अधिकारियों अथवा बोर्ड द्वारा ऐसी भर्ती के लिए गठित चयन समिति से है।

(त) "सर्विस" से तात्पर्य बोर्ड की सेवा से है और इसमें इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची "क" में दर्शाए गए विभिन्न श्रेणियों के पदों के समूह समाविष्ट होंगे। बशर्ते कि बोर्ड, इन विनियमों के साथ जोड़ी गई अनुसूची "क" में नए समूह जोड़ने या एक समूह में किसी पद (पदों) का प्रतिस्थापन या विलोपन या वृद्धि करने के लिए सक्षम होंगे, जब कार्यभार को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।

(थ) "स्थानान्तरण" से तात्पर्य बोर्ड के कर्मचारियों का बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र में स्थानान्तरण से है।

(ii) यहां इनमें शब्द तथा अभिव्यक्तियां प्रयोग में लाई गई हैं लेकिन उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु कोड, नियमों, मैनुअलों, विनियमों में वही अर्थ दिया गया है और उसी तरह से भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम 1974 की अनुसूची-1 में उल्लिखित किया गया है।

3. <u>नियोजन की सामान्य शर्तें</u>- बीबीएमबी के सभी खण्डों में समान श्रेणी के विद्यमान पदों का एकीकृत संवर्ग होगा। इसमें इंजीनियरी संवर्ग शामिल नहीं होगा, जिसका संवर्ग खण्ड-वार रखा जाएगा।

i) सभी कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित, पंजाब सिविल सेवा नियम में दिए गए नीचे उपनियम(2) के साथ पठित वेतन एवं भत्ते, छुट्टी, पैसेज तथा सेवा की अन्य समान शर्तों से संबंधित नियम के सामान्य सेट द्वारा शासित होंगे। बोर्ड की सेवा में 01-01-2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारी पंजाब सिविल सेवा नियम वोल्यूम-II में दी गई पंजाब सरकार की नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

ii) (क) कर्मचारी विशेष वेतन सहित उन वेतनमानों के हकदार होंगे जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर संस्वीकृत किए जाएं।

(ख) कर्मचारी वह भत्ते तथा रियायतें प्राप्त करने के हकदार होंगे जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर संस्वीकृत किए जाएं।

4. <u>संवर्ग शक्ति</u>- भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-I एवं II अधिकारियों की संवर्ग शक्ति संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी। इसमें कोई भी संशोधन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के नियम 79 (9) (ग) द्वारा शासित होगा।

5. <u>नियुक्ति का तरीका</u> - (1) समूह (समूहों) में पद (पदों) पर नियुक्ति इन विनियमों के (साथ संलग्न) अनुसूची (जिसमें समूह I से X शामिल हैं) में प्रत्येक पद के सामने निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

(क) पदोन्नति

i) बोर्ड द्वारा, सक्षम प्राधिकारी की निर्धारित निबन्धन एंव शर्तों पर भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के हिस्से के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी।

ii) इन विनियमों में कुछ होते हुए भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, वरिष्ठता एवं गुणवत्ता पर आधारित चयन द्वारा की जाएगी तथा कोई कर्मचारी अधिकार के रूप में ऐसी नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

6. <u>योग्यताएं</u>- कोई भी व्यक्ति जिसके पास इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित आवश्यक योग्यताएं और अनुभव नहीं हैं, सर्विस के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

7. <u>विभागीय परीक्षाएं तथा प्रशिक्षण</u>-

बोर्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करेगा जो कि कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्य का कुशलता पूर्वक पालन करने के योग्य बनाने हेतु अनिवार्य समझा जाएगा तथा जिसे सामान्य श्रेणी के पदोन्नत और सीधे नियुक्त किए गए कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति के दो वर्ष की अवधि और अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी श्रेणी/ शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारियों को तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर पास करना होगा।

ii) उप विनियम (1) के अन्तर्गत उक्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए पाठ्यक्रम और प्रणाली से बोर्ड में विद्यमान विशेष शर्तो से मेल खाने के लिए पंजाब सिंचाई विभाग और पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड अथवा पंजाब राज्य ताप निगम लिमिटेड, जैसा भी मामला हो, में दिए गए मानकों से न्यूनतम सामंजस्य की पुष्टि होगी।

नोट:—विभागीय परीक्षाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएंगे और इन विनियमों के अंतर्गत पहली परीक्षा का आयोजन करने से पहले अध्यक्ष द्वारा अनुदेश जारी किए जाएंगे।

iii) उक्त कथित अवधि के अन्दर-अन्दर विभागीय परीक्षा पास न करने के परिणामस्वरूप पदोन्नत किए गए कर्मचारी के केस में उसे निम्न पद पर वापिस भेज दिया जाए, सीधे नियुक्त किए गए कर्मचारी के केस में अग्रिम वार्षिक वृद्धि/पदोन्नति रोक दी जाए, जब तक कर्मचारी निर्धारित परीक्षा को पास नहीं करता।

iv) किसी कर्मचारी को, जहां कहीं निर्धारित हो, विभागीय परीक्षा पास करने पर ही रोकी गई वेतन वृद्धियों सहित वार्षिक वेतन वृद्धियां, बिना किसी बकाये के, भविष्य प्रभावी रूप से दी जाएंगी।

v) विभागीय परीक्षा पास करने और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के पश्चात ही कर्मचारी की सर्विस की पुष्टि करने का सवाल पैदा होगा।

कर्मचारियों के लिए जहां आवश्यक समझा जाए, अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा ताकि वे बोर्ड के हित में अपने कर्त्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

8. परिवीक्षा- (i) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति, यदि पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो एक वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

टिप्पणी :-

(क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् किसी तदनुरूप अथवा उच्चतर पद पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी।

(ख) सर्विस में स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप मे गिनी जाएगी, परन्तु कोई व्यक्ति जिसने ऐसे ओफिसिएट किया है, परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के पूरा होने पर सर्विस पुष्टि का हकदार नहीं होगा, जब तक वह एक स्थायी रिक्त पद पर नियुक्त नहीं हो जाता है।

(ii) यदि नियुक्ति प्रधिकारी के विचार में परिवीक्षा अवधि के दौरान एक व्यक्ति का कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो यदि ऐसा व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है, तो:-

(i) उसे उसके पहले पद पर वापिस कर दिया जाए, या

(ii) उसकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों के अनुरूप उसके संबंध में किसी अन्य तरीके से कार्रवाई की जाए।

(iii) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर और उसके उस पद के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकारी:-

(क) यदि उनकी राय में उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक रहा है, तो :-

(i) यदि स्थायी रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से स्थायी कर दिया जाए, या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति को अस्थायी रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है, तो उसे स्थायी रिक्त पद होने की तिथि से स्थायी कर दिया जाए, या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्त पद नहीं है, तो घोषित करे कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

(ख) यदि उनके विचार में उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता, तो:-

i) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दें तथा तत्पश्चात् ऐसे आदेश जारी करें जो परिवीक्षा की मूल अवधि की समाप्ति पर जारी किए जाने अपेक्षित होते:-

बशर्ते कि पदोन्नति पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के केस में बढ़ी हुई अवधि सहित, यदि कोई हो, तो परिवीक्षा की कुल अवधि दो वर्षों से अधिक नहीं होगी । इनकी डीम्ड कंफर्मेशन नहीं होगी।

9. <u>सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता, निवास-स्थान और चरित्र</u>

(क) भारत का नागरिक या

(ख) नेपाल का निवासी या

(ग) भूटान का निवासी या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ड) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या पूर्व अफ्रीकी देशों कीन्या, उगाण्डा, तनजानिया के संयुक्त गणतंत्र, (पहले तन्गानिका और जज्जीवार), जाम्बिया, मालवी, जैरे, इथोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से प्रव्रजित हुए हैं।

बशर्ते कि, 'ख' 'ग' 'घ' या "ड" किसी भी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(ii) कोई व्यक्ति, जिसके केस में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे चयन समिति द्वारा आयोजित की गई परीक्षा या साक्षात्कार में प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रवेश दिया जाए, लेकिन जब तक भारत सरकार द्वारा उसे वांछित प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, उसे सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

iii) कोई भी व्यक्ति तब तक सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत न करे :-

क) जब तक वह अपने अंतिम विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से और दो अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके रिश्तेदार नहीं हों, तथा वे उसके निजी जीवन से अच्छी तरह परिचित हों, तथा विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल या संस्था से सम्बन्धित न हों, एक चरित्र प्रमाण पत्र;

ख) इस आशय का शपथ-पत्र कि उसे नैतिक चरित्रहीनता से संबंधित किसी आपराधिक जुर्म के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया गया है और, यह कि उसे कभी भी किसी राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से बर्खास्त किया अथवा हटाया नहीं गया है।

10. <u>मेडीकल फिटनेस</u> – कोई भी व्यक्ति आरम्भिक रूप से सर्विस में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह बोर्ड द्वारा घोषित किए गए निर्धारित मेडिकल प्राधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

11. <u>अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए सर्विस में आरक्षण</u> – अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से सम्बन्धित सदस्यों के लिए सर्विस में आरक्षण तथा पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अन्य सभी रियायतों में आरक्षण होगा। पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी (आरक्षण) अधिनियम, 2006 के उपबन्ध लागू होंगे।

12. <u>नियुक्ति के लिए अयोग्यता</u>—ऐसा कोई व्यक्ति सर्विस में किसी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा-

क) जिसको पहले कभी बर्खास्त कर दिया गया हो या बोर्ड की या राज्य सरकारों के किसी विभाग से या केन्द्रीय सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया हो, या

ख) जिसे नैतिक चरित्रहीनता से संबंधित किसी अपराध के लिए न्यायालय में दोषी ठहराया गया हो, या

ग) जिसने :-

(i) किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की हो जिसके पहले जीवित पति/पत्नी हो।

(ii) जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी की हो।

बशर्ते कि, बोर्ड यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी शादी ऐसे व्यक्ति पर तथा शादी के लिए अन्य पक्ष पर लागू निजी कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा होने के अन्य स्थापित कारण हैं, तो किसी व्यक्ति को इस खण्ड की कार्रवाई से छूट दे सकता है। तथापि बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

13. वरिष्ठताः- सर्विस में सदस्यों की वरिष्ठता निरंतर सेवा की अवधि द्वारा निर्धारित की जाएगी।

इससे आगे, बशर्ते कि सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किए व्यक्तियों के सम्बन्ध में वरिष्ठता निश्चित करने में, चयन समिति द्वारा निश्चित किए गए योग्यता क्रम में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी।

नोटः—कोई कर्मचारी, जिसकी विनियम 8 के अंतर्गत परिवीक्षा की अवधि बढ़ा दी गई है, इस विनियम के प्रयोजनार्थ नियुक्ति की तिथि, परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि तक आस्थगित की गई समझी जाएगी।

14. निष्ठा की शपथ- सर्विस के प्रत्येक सदस्य के लिए, जब तक उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया हो, भारत संघ तथा भारत के संविधान के प्रति यथा विधिस्थापित निष्ठा की शपथ ग्रहण करना अपेक्षित होगा।

15. स्थानान्तरण के लिए जिम्मेवारी – सर्विस में किसी सदस्य का बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है।

16. बोर्ड के कर्मचारियों की अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति—बोर्ड के किसी कर्मचारी को, उनकी अपनी सहमति और अध्यक्ष के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा राज्य बिजली बोर्डों अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित अन्य संगठनों में, प्रतिनियुक्ति अथवा फारेन सर्विस पर भेजा जा सकता है। ऐसे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अथवा फारेन सर्विस, इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए निबंधन एंव शर्तों द्वारा शासित होगी।

17. आचार संहिता- जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक सर्विस के सदस्यों पर समय-समय पर यथा संशोधित पंजाब सरकार कर्मचारी आचरण नियम, 1966 लागू होंगे।

18. अनुशासन, दण्ड और अपील—अनुशासन दण्ड और अपील से सम्बन्धित मामलों में सर्विस के सदस्यों पर समय-समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा (दण्ड और अपील) नियम, 1970 लागू होंगे।

बशर्ते कि, बोर्ड उक्त नियमों के अंतर्गत दण्ड देने हेतु अधिकार प्राप्त प्राधिकारी और इनके नियम 16 के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी होगा।

19. सेवा निवृत्ति – बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष या समय-समय पर पंजाब सरकार द्वारा किए जाने वाले संशोधन के अनुसार होगी ।

20. टीका एवं दोबारा टीका लगाने हेतु जिम्मेवारी—सर्विस का प्रत्येक सदस्य, जब कभी बोर्ड के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देश दिया जाए, स्वयं टीका या पुन: टीका लगवाएगा।

21. छूट देने का अधिकार—यदि इन विनियमों या इनके किसी विशिष्ट उपबंध के लागू किए जाने से किसी कर्मचारी विशेष या कर्मचारियों की श्रेणी को काफी कठिनाई होने की संभावना हो, तो बोर्ड लिखित रूप से कारणों को रिकार्ड करते हुए, विनियमों अथवा उनके विशिष्ट उपबंध जैसा भी मामला हो, के क्रियान्वयन में छूट दे सकता है।

22. विनियमों की व्याख्या— यदि इन विनियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पैदा होता है, तो इसे बोर्ड को संदर्भित करना होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

23. शक्तियों का प्रत्यायोजन-- बोर्ड, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के कुशल कार्य संचालन के लिए, खण्ड 21 (छूट देने की शक्ति) के अतिरिक्त, किसी भी विनियम के कार्यान्वयन, व्याख्या इत्यादि के संबंध में अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है।

24. रिपील और सेविंग-- सर्विस पर लागू कोई नियम अथवा विनियम और इन विनियमों में से किसी विनियम के अनुरूप विनियम, जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पहले लागू हों, एतदद्वारा रद्द किए जाते हैं।

बशर्ते कि ऐसे रद्द किए गए नियमों/विनियमों के अंतर्गत किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कार्रवाई, इन विनियमों के अनुरूप उपबंधों के अंतर्गत किया गया आदेश/ की गई कार्रवाई माना जाएगा।

25. प्रशासनिक कार्य—बोर्ड के मुख्य कार्यपालक के रूप में अध्यक्ष, सर्विस के कार्यों के दिन-प्रतिदिन प्रशासन हेतु ऐसे नीति अनुदेश जारी कर सकता है जो कि इन विनियमों के साथ असंगत नहीं हों।

अनुसूची-क

समूह 1 से 10 तक के कर्मचारियों के पदोन्नति सोपान

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -I एवं श्रेणी-II सर्विस

समूह-I (इंजीनियरिंग)

क्रम सं	पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	दिनांक 1.1.2006 के वेतनमानों के अनुसार वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
1	अधीक्षण अभियन्ता	1 (सिंचाई खण्ड/ विधुत खण्ड)	41300-67000+ ग्रेड पे-9600	पदोन्नति द्वारा	-	कार्यकारी अभियंता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव	अध्यक्ष	मेरिट सह वरिष्ठता के आधार पर
2	कार्यकारी अभियंता	6 (सिंचाई खण्ड-3) (विधुत खण्ड-3)	16650-39100 + ग्रेड पे-8500	पदोन्नति द्वारा	-	उपमण्डल अधिकारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव	अध्यक्ष	मेरिट सह वरिष्ठता के आधार पर
3	अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता	10 (दस) (सिंचाई खण्ड-5) (विधुत खण्ड-5)	16650-39100 + ग्रेड पे-6850	पदोन्नति द्वारा		उपमण्डल अधिकारी के रूप में 10 वर्ष	अध्यक्ष	मेरिट सह वरिष्ठता के आधार पर
4	सहायक अभियंता/उप मण्डल अधिकारी/सहायक कार्यकारी अभियंता	34 (सिंचाई खण्ड-14) (विधुत खण्ड-20)	16650-39100 + ग्रेड पे-5800	पदोन्नति द्वारा		इंजीनियरिंग में डिग्री सहित कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में 10 वर्ष अथवा इंजिनियरिंग में डिप्लोमा सहित कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में 15 वर्ष	अध्यक्ष	मेरिट सह वरिष्ठता के आधार पर

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -1 एवं श्रेणी-11 सेवा

समूह -II (स्थापना)

पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
अधीक्षक ग्रेड-1	5 (पांच)	10900-34800 + ग्रेड पे-5500	अधीक्षक ग्रेड-II में से पदोन्नति द्वारा		अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में 8 वर्ष का अनुभव	अध्यक्ष	

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -1 एवं श्रेणी-11 सेवा

समूह- III (राजभाषा)

पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
हिंदी अधिकारी/ सहायक निदेशक(राजभाषा)	1 (एक)	10900-34800 + ग्रेड पे-5500	अनुवादक से पदोन्नति द्वारा		अनुवादक के रूप में 8 वर्ष का अनुभव	अध्यक्ष	

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -1 एवं श्रेणी-11 सेवा

समूह IV (विधिक सेवाएं)

क्रम सं.	पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
1	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1 (एक)	16650-39100 + ग्रेड पे-6850	विधि अधिकारी ग्रेड-I से पदोन्नति द्वारा	-	विधि अधिकारी ग्रेड-I के रूप में 8 वर्ष का अनुभव।	अध्यक्ष	
2	विधि अधिकारी ग्रेड-1	2 (दो)	16650-39100 + ग्रेड पे-5800	विधि अधिकारी ग्रेड-II से 100 % पदोन्नति द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रथम श्रेणी में विधि डिग्री	विधि अधिकारी ग्रेड-II के रूप में 8 वर्ष का अनुभव ।	अध्यक्ष	

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -I एवं श्रेणी-II सेवा

समूह-V (अग्नि शमन सेवाएं)

पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	1 (एक)	10900-34800+ ग्रेड पे-5500	दमकल केन्द्र अधिकारी/अग्नि शमन अधिकारी से 100% पदोन्नति द्वारा		दमकल केन्द्र अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।	अध्यक्ष	

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -I एवं श्रेणी-II सेवा

समूह-VI (श्रम कल्याण)

पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
श्रम कल्याण अधिकारी	1 (एक)	10900-34800 + ग्रेड पे-5500	सहायक श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम एंव कल्याण निरीक्षक से 100% पदोन्नति द्वारा		सहायक विधि अधिकारी/ श्रम कल्याण निरीक्षक के रूप में 8 वर्ष का अनुभव	अध्यक्ष	

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -I एवं श्रेणी-II सेवा

समूह-VII (अनुसंधान)

पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
सहायक अनुसंधान अधिकारी	1 (एक)	10900-34800+ग्रेड पे-4900	अनुसंधान सहायक ग्रेड-ए से पदोन्नति द्वारा	-	अनुसंधान सहायक के रूप में 8 वर्ष का अनुभव ।	अध्यक्ष	

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -1 एवं श्रेणी-11 सेवा

समूह-VIII (स्टैनोग्राफी कैडर)

क्रम सं.	पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
1	वरिष्ठ निजि सचिव	1 (एक)	16650-39100 + ग्रेड पे-6850	निजी सचिव से पदोन्नति द्वारा	-	निजी सचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुभव।	अध्यक्ष	
2	निजी सचिव	2 (दो)	10900-34800 + ग्रेड पे-5500	निजी सहायक से पदोन्नति द्वारा	-	निजी सहायक के रूप में 8 वर्ष का अनुभव।	अध्यक्ष	

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -1 एवं श्रेणी-11 सेवा

समूह-IX (वित्त एवं लेखा)

क्रम सं.	पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
1.	उप मुख्य लेखाधिकारी/ उप वितीय सलाहकार	1 (एक)	16650-39100+ ग्रेड पे-6850	लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी से पदेन्नति द्वारा		लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी के रूप में 8 वर्ष का अनुभव जिस में से कम 3 वर्ष का अनुभव वरिष्ठ लेखाधिकारी के रूप में हो।	अध्यक्ष	
2.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ लेखाधिकारी	6 (छः)	16650-39100+ ग्रेड पे-5800	पात्र एस ए एस लेखाकारों (जिन्होंने एस. ए. एस. भाग-। और भाग-।। परीक्षा वास्तव में उत्तीर्ण कर ली है) से 100% पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस पद पर कम से कम 8 वर्ष की सेवा की हो।			अध्यक्ष	

भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी -1 एवं श्रेणी-11 सेवा

समूह- X (आई टी एवं कम्प्यूनिकेशन)

क्रम सं.	पदनाम	कुल संस्वीकृत पद	वेतनमान	नियुक्ति की पद्धति	न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	न्यूनतम अनुभव	नियुक्ति/ पदोन्नति प्राधिकारी	अभिकथन
1	मैनेजर (ईडीपी)/ मैनेजर (आई टी) और कम्प्यूटर	1 (एक)	16650-39100+ ग्रेड पे-8500	ए ई कम्प्यूटर सिस्टम से पदोन्नति द्वारा	-	ए ई कम्प्यूटर सिस्टम के रूप में 10 वर्ष का अनुभव	अध्यक्ष	
2	सिस्टम एनालिस्ट	4 (चार)	10900-34800+ ग्रेड पे-5500	पदोन्नति द्वारा	-	प्रोग्रामर के रूप में 8 वर्ष का अनुभव	अध्यक्ष	

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 27th April 2015

No. DBR.PSBD.No. 16270/16.01.136/2014-15—In pursuance of Clause (b) of Sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs exclusion with effect from April 1, 2015 from the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

"ING Vysya Bank Ltd."

N.S.VISHWANATHAN
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Jaipur–302001, the 13th May 2015

No. 15-U-11/PTMR./SMC/2014—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-04-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide H.Q. Letter No. pt File No. U-13/12/13/2005-Med-1/PTMR dated 09-09-08, I hereby authorize the following Medical Officers to function as Medical Referee at a monthly remuneration in according with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Jaipur (Rajasthan) for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them as & when the correctness of the original certificates is in doubt.

Name of Doctors & Address	Period	Name of Center
Dr. Shiv Kumar Gupta, M.O. I/c, Community Health Centre, Bhiwadi (Alwar)	23-02-2015 to 22-02-2016	Bhiwadi, Alwar, Bahror, Neemrana & Attached area

Sd./-ILLIGIBLE
STATE MEDICAL COMMISSIONER
Rajasthan, Jaipur

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD

Chandigarh, the 10th June 2015

No. 176/PD-774/APD-4—In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 79 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (31 of 1966) (hereinafter referred to as the said Act), the Bhakra Beas Management Board, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations regulating the recruitment and conditions of service of Class I & II of the Bhakra Beas Management Board regular employees (below Board level) namely:-

1. Short title, commencement and application.

   (i) These regulations shall be called the Bhakra Beas Management Board Class-I & Class-II Officers (Recruitment & Conditions of Service) Regulations, 2015.

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

   (iii) They shall apply to the following:-

   (a) all existing regular employees who have been recruited by the Board before coming into force of these regulations.

   (b) the employees appointed by the Board hereinafter under these regulations as contained in Schedule 'A'

2. Definitions.

   (i) In these regulations, unless the context otherwise requires:-

   (a) "Appointing Authority" means the authority empowered to make appointment to any post in the group of posts as mentioned in Schedule 'A' annexed with these regulations;

   (b) "Board" means the Bhakra Beas Management Board constituted under Section 79 read with Sub-section (6) of Section 80 of the said Act.

(c) "Cadre" means strength of category of posts permanent and temporary in a service or in a particular group or part thereof;

(d) "Chairman" means the whole-time Chairman of the Board appointed under clause (a) of sub-section (2) of Section 79 of the said Act;

(e) "Employee" means an employee of the Board to whom these regulations shall apply;

(f) "Head of the Department" means a Chief Engineer or Engineer-in-Chief (EIC) specified by the Board to be the Head of the Department, the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board or any other officer declared as Head of the Department by the Chairman as the case may be;

(g) "Head Office" means Board's Secretariat Office of Bhakra Beas Management Board.

(h) "Head of Office" means the head of the respective office of the Board as may be declared by the Chairman;

(i) "Probation" means appointment of an employee against a regular vacancy for a specific period to test his suitability for the post;

(j) "Promotion" means elevation of an employee of the Board from one post to another other than ex-cadre involving higher duties and responsibilities;

(k) "Recognized University or Institution" means:-

(i) any University or Institution incorporated by law in any of the States or Union Territories of India; or

(ii) any other University which is declared by the Government to be a recognized or deemed University or Institution for the purpose of these regulations;

(l) "Rules' means the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974;

(m) "Secretary" means the Secretary or the Special Secretary to the Board;

(n) "Selection Authority" means Public Service Commissions of the respective partner States recruiting officers as per the share quota of the respective States or the Selection Committee constituted by the Board specifically for such recruitment;

(o) "Service" means the service of the Board and shall comprise groups of various classes of posts shown in Schedule annexed with these regulations;

Provided that the 'Board' shall be competent to make addition to or deletion of, or substitution of any post(s) in a group or add new group (s) in the Schedule annexed with these regulations, when considered expedient to do so depending upon the work load:

(p) "Transfer" in relation to the employees of the Board means transfer within the jurisdiction of the Board;

(ii) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the codes, rules, manuals, orders, regulations and the like specified in Schedule-I to the Bhakra Beas Management Board Rules - 1974.

3. General conditions of employment:- There shall be integrated cadre of similar categories of posts existing in all the Wings of Bhakra Beas Management Board except in the Engineering cadre; where the cadre will be maintained wing wise.

(i) All the employees shall be governed by the common set of rules relating to pay and allowances read with Sub rule(2) of rule 3 below, leave, passage and other general conditions of service as laid down in Punjab Civil Service Rules as amended from time to time read with Sub rule (2) of rule 3 below. The employees recruited in Board's service on or after 1.1.2004 shall be governed by the New Pension Scheme of the Punjab Government as contained in Punjab Civil Service Rule Vol.II

(ii) (a) The employees shall be entitled to such scales of pay including special pay as may be sanctioned by the Board from time to time.

(b) The employees shall be entitled to such allowances and concessions as may be sanctioned by the Board from time to time.

4. Cadre Strength :- The cadre strength of Bhakra Beas Management Board Class-I & II Officers will be as per the Schedule enclosed. Any amendment to it will be governed by rule 79 (9) (c) of the Punjab Re-organization Act. 1966.

5. Mode of Appointment -

(i) Appointment to the post(s) in the group(s) shall be made in the manner specified against each in Schedule (containing groups I to X) annexed with these regulations by

(A) Promotion.

(i) A Departmental Promotional Committee shall be constituted by the Board for filling up the vacant posts of Bhakra Beas Management Board share by promotion on prescribed terms and conditions of the competent authority.

(ii) Notwithstanding anything contained in these regulations appointment by promotion shall be made by selection based on seniority-cum-merit and no employee shall be entitled to such appointment as a matter of right.

6. Qualifications. No person shall be appointed to the service unless he possesses the essential qualifications and experience prescribed in Schedule annexed with these regulations.

7. Departmental examinations and training-

(i) The Board shall hold the departmental examinations as may be prescribed by the competent authority and considered essential for enabling the employees to discharge their duties, efficiently which the promotees and the direct recruits shall be required to pass within a period of two years of their appointment in case of general candidates and three years in case of Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically handicapped.

(ii) The syllabus and procedure for holding the examinations under sub-regulation (1) shall conform, with marginal adjustments to suit the special conditions prevailing in the Board, to the standards laid down in the Punjab Irrigation Department and Punjab State Power Corporation Limited or Punjab State Thermal Corporation Limited as the case may be.

Note: Detailed guidelines for the departmental examinations shall be prescribed and the instructions issued by the Chairman before conducting the first examination under these regulations.

(iii) Failure to pass the departmental examination within the aforesaid period may result in reversion to a lower post in the case of a promotee and stoppage of further promotion and increment(s) in the case of direct recruit till the employee clears the prescribed examination.

(iv) Annual increments including those with-held as above shall be allowed to an employee prospectively without arrears only on his passing the departmental examination where prescribed.

(v) The question of confirmation of an employee shall arise only after passing of the departmental examination and on successful completion of probationary period of one year in case of appointment by promotion.

(vi) The employees shall also be required to undergo training in their respective field where considered essential for enabling them to discharge their duties efficiently in the interest of the Board.

8. Probation:

(i) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of one year, if appointed by promotion;

Note:-

(a) Any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation.

(b) Any period of officiating appointment to the Service shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(ii) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is found not satisfactory, he may if such person is appointed by promotion.

i) revert him to his former post; or

ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his appointment permit.

iii) On the completion of the period of probation of a person and who has passed the departmental examination prescribed for that post, the appointing authority may,-

(a) if his work and conduct has, in its opinion, been satisfactory.

i) confirm such person from the date of his appointment if appointed against a permanent vacancy, or

ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

b) if his work and conduct has not been, in its opinion, satisfactory, -

(i) extend his period of probation and thereafter pass such orders as he could have passed on the expiry of the original period of probation;

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed two years in case of those appointed on promotion. There shall be no deemed confirmation.

9. Nationality, domicile and character of person appointed to the service:-

(i) a) a citizen of India; or

b) a subject of Nepal; or

c) a subject of Bhutan; or

d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India;

Provided that person belonging to any of the categories (b), (c), (d), or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(ii). A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Selection Committee on his furnishing proof that he has applied for the certificate but he shall not be appointed to the service unless the necessary certificate is given to him by the Government of India.

(iii) No person shall be recruited to any post in the Service, unless he produces.

a) a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

b) an affidavit to the effect that he was never convicted for any criminal offence involving moral turpitude and that he was never dismissed or removed from service of any State Government or of Government of India or of any Public Sector Undertaking.

10. Medical Fitness. No person shall be initially appointed to the service unless he produces a medical certificate of fitness from the prescribed medical authority as may be declared by the Board.

11. Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons and dependents of deceased employees in the Service. The members belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons and the dependents of deceased employees in the service, shall have the reservation in the service and all other concessions as prescribed by the Punjab Govt. from time to time. The provisions of the Punjab Scheduled Castes and Backward Class (Reservation) Act, 2006 shall be applicable.

12. Disqualification for appointment:- No person shall be eligible for appointment to any post in the service -

a) Who has previously been dismissed or compulsorily retired from the service of the Board or from any department of the State Government or the Central Government or from any Public Sector Undertaking.

b) Who has been convicted in a Court of Law for any offence involving moral turpitude; or

c) Who-

i) has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

ii) having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Provided that the Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other established grounds for so doing, exempt any person from the operation of this clause. However, decision of the Board shall be final.

13. Seniority.-Seniority of members of the Service shall be determined by the length of continuous service.

Provided further that in the case of persons appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Selection Authority shall not be disturbed in fixing the seniority.

NOTE: In case of an employee whose period of probation is extended under regulation 8, the date of appointment for the purpose of this regulation shall be deemed to have been deferred to the extent the period of probation is extended.

14. Oath of allegiance. – Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take oath of allegiance to the Union of India and to the Constitution of India as by law established.

15. Liability to transfer. – A member of the service shall be liable to transfer any where under the jurisdiction of the Board.

16. Deputation of employees of the Board to other organizations.- An employee of the Board may be sent on deputation or on foreign service to other organizations including the Central Government or State Governments or State Electricity Boards or any Public Sector Undertaking with his consent and prior approval of the Chairman. The deputation or foreign service of such an employee shall be governed by the terms and conditions prescribed by the Board for the purpose.

17. Code of Conduct.- Unless otherwise provided, the Punjab Government Employees Conduct Rules, 1966, as amended from time to time, shall apply to the members of the service.

18. Discipline, punishment and appeals.- In the matters relating to the discipline, punishment and appeals, members of the service shall be governed by the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1970, as amended from time to time.

Provided that the authority empowered to impose penalties under the aforesaid rules and the appellate authority for the purpose of Rule 16 thereof shall be 'Board'.

19. Superannuation.- The age of superannuation for Board's employees shall be 58 years or as amended by Punjab Government from time to time.

20. Liability for vaccination and revaccination.- Every member of the service shall get himself vaccinated or revaccinated when so directed by general or special order by the Board.

21. Power to relax.- If the application of these regulations or any particular provision thereof is likely to cause substantial hardship in the case of any individual employee or class of employees, the Board may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the operations of the regulations or the particular provisions thereof, as the case may be.

22. Interpretation of the regulations.- If any question arises in regard to the interpretation of these regulations, the same shall be referred to the Board, whose decision shall be final.

23. Delegation of powers.- The Board may delegate any of its powers to the Chairman, Bhakra Beas Management Board with regard to the implementation, interpretation etc. of any of the regulations for efficient functioning of the Bhakra Beas Management Board, except Clause 21 (Power to relax).

24. Repeal and savings: Any rules or regulations applicable to the Service and corresponding to any of these regulations, which may be in force immediately before the commencement of these regulations, are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under such repealed rules or regulations shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

25. Administrative functions. - The Chairman as the Chief Executive of the Board may issue policy instructions not inconsistent with these regulations for the day to day administration of the affairs of the service.

Schedule-A

PROMOTION LADDER GROUP-I TO X EMPLOYEES

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-I (Engineering)

Sr. No.	Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales as per 01-01-2006 pay scale.	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/ Promoting authority	Remarks
1.	Superintending Engineer	1 (One) (I.W./P.W)	41300-67000 GP-9600	By Promotion		10 years as Executive Engineer	Chairman	On the basis of merit cum seniority
2.	Executive Engineer	6 (Six) (I.W.–3) (P.W-3)	16650-39100 GP-8500	By Promotion		10 years as Assistant Executive Engineer	Chairman	On the basis of merit cum seniority
3.	Additional Executive Engineer	10 (Ten) (I.W.–5) (P.W-5)	16650-39100 GP-6850	By Promotion		10 years as Sub Divisional Officers	Chairman	On the basis of merit cum seniority
4.	Assistant Engineers/ Sub Divisional Officers/Assistant Executive Engineer	34 (Thirty four) (I.W.–14) (P.W-20)	16650-39100 GP-5800	By Promotion		10 Years as Junior Engineer with degree in Engineering or 15 years as a junior Engineer with diploma in Engineering	Chairman	On the basis of merit cum seniority

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-II (Establishment)

Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/ Promoting authority	Remarks
Superintendent Gr.-I	Five (5)	10900-34800 GP-5500	By promotion from amongst the Superintendent Gr.II.		8 years experience as Superintendent Grade-II.	Chairman	

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-III(Official Language)

Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/Promoting authority	Remarks
Hindi Officer/Assistant Director (Official Language).	One (1)	10900-34800 +GP 5500	By promotion from Translator		8 years as Translator	Chairman	

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-IV (Legal Services)

Sr. No.	Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/ Promoting authority	Remarks
1	Senior Law Officer	One (1)	16650-39100 + GP 6850	By promotion from Law Officer Gr.I		8 years as Law Officer Gr.I	Chairman	
2	Law Officer Gr.I	Two (2)	16650-39100 GP-5800	100 per cent By promotion from Law Officer Gr.II	Degree in law in first division from any recognized University or Institution.	8 years as Law Officer Gr.II	Chairman	

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-V (Fire Services)

Name of Post.	Total sanctioned strength.	Pay Scales.	Method of appointment.	Minimum educational and other qualifications.	Minimum experience.	Appointing/ Promoting authority.	Remarks.
Chief Fire Officer	One (1)	10900-34800 + GP 5500	100 per cent By promotion from Fire Station Officer or Fire Officer		5 years as Fire Station Officer.	Chairman	

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-VI (Labour Welfare)

Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/ Promoting authority	Remarks
Labour Welfare Officer	One (1)	10900-34800 + GP 5500	100 per cent by promotion from Assistant Labour Welfare Officer/Labour & Welfare Inspectors.		8 years as Assistant Law Officer/Labour Welfare Inspector.	Chairman	

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-VII (Research)

Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/ Promoting authority	Remarks
Assistant Research Officer	One (1)	10900-34800 + GP 4900	By promotion from Research Assistant Gr.-A		8 years as Research Assistant.	Chairman	

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-VIII (Stenography Cadre)

Sr. No.	Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/ Promoting authority	Remarks
1	Senior Private Secretary	One (1)	16650-39100 + GP 6850	By promotion from Private Secretary		8 years as Private Secretary.	Chairman	
2	Private Secretary	Two (2)	10900-34800 + GP 5500	By promotion from Personal Assistant.		8 years as Personal Assistant.	Chairman	

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-IX (Finance & Accounts)

Sr. No.	Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/ Promoting authority	Remarks
1.	Deputy Chief Accounts Officer/Deputy Financial Advisor.	One (1)	16650-39100 GP-6850	By promotion from Accounts Officer/Senior Accounts Officer		8 years as Accounts Officer/Senior Accounts Officer with minimum 3 years as Senior Accounts Officer.	Chairman	
2.	Senior Accounts Officer/ Accounts Officer	Six (6)	16650-39100 GP-5800	100 per cent by promotion from qualified Subordinate Accounts Service Accountants (who have actually cleared Subordinate Accounts Service Part-I and Part-II Examination) having rendered minimum service of 8 years as such.			Chairman	

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD CLASS-I & CLASS-II SERVICE

GROUP-X (IT & Communication)

Sr. No.	Name of Post	Total sanctioned strength	Pay Scales	Method of appointment	Minimum educational and other qualifications	Minimum experience	Appointing/ Promoting authority	Remarks
1.	Manager (Electronic Data Processing /Manager (Information Technology) and Computer	One (1)	16650-39100 GP-8500	By promotion from Assistant Engineer Computer System.		10 years as Assistant Engineer Computer System	Chairman	
2.	System Analyst	Four (4)	10900-34800 GP-5500	By promotion.		8 years as Programmer.	Chairman	

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121+1+1+250 = 373 Copies.